

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/8958

लखनऊ/दिनांक—23-07-2021


विषय:—फ़ेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/7977, दिनांक 15.11.2019 एवं पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/8863, दिनांक 25.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ़ेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" का गठन करवाते हुए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त नियमावली में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुश्रवण करवाते हुए सूचना/प्रगति रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ/तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

2—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3—उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

4—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5—अधिशारी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

लखनऊ/दिनांक— 23-07-2021

विषय:—फ़ेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/7977, दिनांक 15.11.2019 एवं पत्र संख्या—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/8863, दिनांक 25.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ़ेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" का गठन करवाते हुए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त नियमावली में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुश्रवण करवाते हुए सूचना/प्रगति रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ/तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/ 8959-64
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 2—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 3—उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 4—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5—अधिशारी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)